रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227598
CG-DL-E-14062021-227598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943
No. 238] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISHTHA 24, 1943

IndiaCode

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (संशोधन) विनियम, 2021

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (ठ), खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों का नाम 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (संशोधन) विनियम, 2021 है।

2. यह राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 में -

(I) विनियम 2 के उप-विनियम 1(छ) के तहत परिभाषा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

इन विनियमों के लिए "पेंशन योजनाओं" में, प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाने वाली योजनाएं सम्मिलित होंगी जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), एनपीएस लाइट-स्वावलंबन, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) तथा प्राधिकरण द्वारा विनियमित और/या प्रशासित अन्य कोई भी पेंशन योजना या भारत सरकार की अन्य कोई पेंशन योजना ।

(II) विनियम 5 के उप-विनियम 1(क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

(क) भारत में किसी भी विनियामक द्वारा, जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय आवास बैंक भी है, रजिस्ट्रीकृत और विनियमित हो;

परन्तु, केवल विनियम 3 के उप खंड (iii) के तहत आवेदन करने वाली इकाईयों पर यह शर्त लागू नहीं होगी ।

(III) विनियम 5 के उप-विनियम 1(छ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

(छ) ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को, पूर्व 2 वर्ष से लाभप्रदता (कर के बाद लाभ) का कार्य रिकॉर्ड होना चाहिए:

परन्तु ऐसी शर्त उन आवेदकों जो (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) हैं , जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त है और अटल पेंशन योजना के तहत क्रियाकलापों को आयोजित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट पूंजी सम्बन्धी मामलों की आवश्यकताओं को पूर्व वर्ष में हुई हानियों के स्थान में माना जाएगा या (ii) एक ऑनलाइन विपणन कंपनी जो वित्तीय उत्पादों को वितरित करती है या केंद्र या राज्य सरकारों की ईकाईयों/विभागों/मंत्रालयों, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा ।

परन्तु इसके अतिरिक्त यह शर्त, नए भुगतानकारी बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों तथा इकाइयों जो सामान सेवाएँ प्रदान करती हैं यदि उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी ईकाई द्वारा सम्बंधित नियामक के साथ रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन किया गया है, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा;

(IV) विनियम 9 के उप-विनियम 1(क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

(क) क्या आवेदक को, पूर्व में, विनियामकों में से किसी के द्वारा, जिनके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आवास बैंक भी हैं या कोई अभिकरण जो ऐसी ईकाई जो आवेदक को नियंत्रित करती है यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने से इनकार किया गया है, यदि हाँ, तो ऐसे आवेदक या उसके सहयोजक जो उसको नियंत्रित करती है, को किये गए इनकार के कारण या क्या आवेदक या प्रमुख अधिकारी पर नैतिक अधमता वाले किसी अपराध, आर्थिक अपराधों, किसी प्रतिभूति या बैंककारी विधि के अतिक्रमण या कपट के लिए दोषसिद्धि हुआ है ।

(V) विनियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

13. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि – (1) अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, उपस्थिति अस्तित्व को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य बना रहेगा जब तक की उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए ।

(2) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र शर्तों के अधीन रहते हुए अनुदत्त किया गया है, वहां ऐसे रजिस्ट्रीकरण को ऐसी शर्तों के अध्यधीन माना जाएगा ।

(3) उपस्थिति अस्तित्व रजिस्ट्रीकरण की तारीख से या प्राधिकरण द्वारा अंतिम बार प्रतिगृहीत नवीकरण फीस के संदाय की तारीख से पांच वर्ष के अवसान के पूर्व नब्बे दिन के भीतर नवीकरण फीस के प्रतिग्रहण के लिए प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट प्ररुप में आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यदि आवेदन नवीकरण फीस सहित प्राधिकरण के पास नवीकरण फीस के संदाय के लिए शोध्य तारीख से एक वर्ष के अपश्चात् पहुँचता है, तो विलम्ब की ऐसी अवधि के लिए एक हज़ार रुपए प्रतिमास की अतिरिक्त फीस आवेदक द्वारा प्राधिकरण को सन्देय होगी ।

(4) नवीकरण फीस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत क्रियाकलापों से या अन्य पेंशन योजनाओं को एक साथ रख कर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उपार्जित प्रभारों के आधे प्रतिशत की दर पर परिकलित राशि होगी, जो कि नवीकरण फीस के रुप में न्यूनतम पंद्रह हज़ार रुपए और अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन होगी ।

परन्तु ऐसे आवेदक के सम्बन्ध में, केवल अटल पेंशन योजना के तहत क्रियाकलाप आयोजित करने हेतु या केवल अपने कर्मचारियों और अन्य कार्मिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना चाहता हो या केंद्र और राज्य सरकारों के इकाईयों/विभाग/मंत्रालय के लिए शर्त लागू नहीं होगी ।

(VI) विनियम 15 के उप-विनियम (1)(II)(च) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

(च) उपस्थिति अस्तित्व अभिदाता या उनके नियोक्ता से प्राप्त या कर्मचारियों के वेतन से कटौती किए गए [यदि किसी मामले में विनियम 3 के उप-विनियम (iii) के अनुसार इकाईयां पंजीकृत हैं] अभिदायों को न्यासी बैंक द्वारा बनाए रखे गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास खाते में अंतरण करेगा और उपस्थिति अस्तित्व सम्बन्धी सेवा मानकों के तहत निर्धारित समयसीमा या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के पास की अभिदाता अभिदाय फाइलों को अपलोड करेगा ;

(VII) विनियम 15 के उप-विनियम (1)(III)(ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

(क) प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व,"पीओपी का नाम या उसकी संक्षिप्ति -संकलन खाता- पेंशन योजना का नाम या उसकी संक्षिप्ति- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसकी संक्षिप्ति" के नाम पर एक संकलन खाता रखेगा तथा ऐसा खाता गैर-आहरित खाता होगा जो कि केवल एनपीएस न्यास में निधियां स्थानांतरित करने के विकल्प के साथ उपलब्ध होगा या केवल असाधारण मामलों जैसे कि गलत प्रविष्टियों, अज्ञात प्रविष्टियों या अभिदाता अंशदान से संबंधित राशि न होने पर, लिखित में कारणों को दर्ज करने पर, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों/परिपत्रों द्वारा निर्धारित किया गया हो, इसे किसी अन्य खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है । संकलन राशि को स्थानांतरित करने का प्राधिकार उपस्थिति अस्तित्व के पास होगा ।

परन्तु, ऐसे उपस्थिति अस्तित्व, जो पहले से पंजीकृत हैं तथा जिनके भिन्न नामों तथा प्रयोग के साथ खाते हों, इस विनियम की अधिसूचना तिथि से 90 दिनों की समयसीमा के भीतर इस शर्त का अनुपालन करेंगे ।

(VIII) विनियम 15 के तहत नया उप-विनियम 5 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

(5) विनियम 3 के उप-विनियम **(i)** या **(ii)** के तहत गतिविधियों के लिए पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व**,** पेंशन योजनाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी मौजूदा व्यवसायिक संरचना के भीतर व्यवसाय प्रतिनिधियों या अभिकर्ताओं के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों की सेवाएं ले सकते हैं । व्यवसाय प्रतिनिधियों या अभिकर्ताओं को नकद के रूप में अंशदान एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे केवल चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संबंधित उपस्थिति अस्तित्व के पक्ष में, विनियम 15(1)(III) (ख) के अनुसार उपस्थिति अस्तित्व के खातों में निर्धारित नामकरण के अनुसार एकत्रित किया जाएगा । उपस्थिति अस्तित्व केवल व्यवसाय प्रतिनिधियों या अभिकर्ताओं द्वारा उनकी गतिविधियों की निगरानी और उन्हें पेंशन योजनाओं पर प्रशिक्षण देने सहित उनके कार्यों के निर्वहन में कृताकृत के किसी भी कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा ।

(IX) विनियम 15 के तहत नया उप-विनियम 6 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

(6) उपस्थिति अस्तित्व**,** जो उप-विनियम **(i)** और **(ii)** के तहत गतिविधियों के लिए पंजीकृत हैं**,** पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकारों) विनियम**,** 2016 के तहत पंजीकृत सेवानिवृत्ति सलाहाकार की सेवाओं को शामिल कर सकता है।

(X) विनियम 17 के तहत शीर्षक और उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

अभिलेखों को बनाए रखना और लेखाओं की संपरीक्षा- (1) इस प्रयोजन के लिए, उपस्थिति अस्तित्व द्वारा अपने गतिविधियों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित लेखा बहियां बनाए रखी जाएंगी: –

(XI) विनियम 17 के तहत उप-विनियम (1) (ङ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

पीओपी द्वारा प्राप्त, संसाधित किए गए और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को भेजे गए अनुदेशों का अभिदातावार ब्यौरा जैसे पीओपी में परिवर्तन, सीआरए में परिवर्तन, पेंशन निधि में परिवर्तन, योजना परिवर्तन, नामितिकरण विवरण में परिवर्तन, व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन, संपर्क विवरण में परिवर्तन, पता परिवर्तन, त्रुटि आशोधन अनुरोध या प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया कोई अन्य अनुरोध ;

(XII) विनियम 17 के तहत उप-विनियम (1) (च) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

पीओपी द्वारा प्राप्त, संसाधित किए गए और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को भेजे गए निकास/प्रत्याहरण/ आंशिक प्रत्याहरण अनुदेशों का अभिदातावार ब्यौरा;

(XIII) विनियम 17 के तहत उप-विनियम (2) को समाप्त कर दिया जाएगा ।

(XIV) विनियम 21 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा ।

प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेशों का उसके द्वारा पालन किए जाने को मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें अभिदाता की शिकायतों का निवारण भी शामिल हैं |

(XV) विनियम 25 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा ।

उपस्थिति अस्तित्व प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या लेखापरीक्षक को उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे गए परिसर तक युक्तियुक्त पहुँच की अनुज्ञा देगा और उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व द्वारा नियुक्त उपस्थिति अस्तित्व- उप इकाई या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डाटा की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी, जो प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की राय में सुसंगत हों, निरीक्षण या संपरीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा ।

(XVI) विनियम 28 को समाप्त कर दिया जाएगा ।

(XVII) विनियम 44 के उप-विनियम 10 (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा ।

(ii) आवश्यक दस्तावेजीकरण के साथ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट या विहित विधान में अभिदाता द्वारा सम्यक् रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित, अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप, निकास अनुरोध सहित अनुवर्ती सेवा अनुरोध प्राप्त करेगी;

(XVIII) विनियम 44 के उप-विनियम 10 (iv) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा -

यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप, निकास अनुरोध सहित अनुवर्ती सेवा अनुरोध सभी प्रकार से पूर्ण है ;

(XIX) विनियम 44 के उप-विनियम 10 (v) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा -

यह सुनिश्चित करेगी कि अभिदाय ऐसे " उपस्थिति अस्तित्व के पक्ष में, जिसके साथ उपस्थिति अस्तित्व की उप-इकाई पंजीकृत है, विनियम 15(1)(III) (ख) के अनुसार उक्त उपस्थिति अस्तित्व के खातों में निर्धारित नामकरण के अनुसार केवल चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एकत्र किया जाएगा । उपस्थिति अस्तित्व की उप इकाई के लिए अभिदाताओं से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का संग्रहण नकद रूप में करना अनुज्ञात नहीं है ;

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./104/2021-22]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 25 जून 2018 को, अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (POINT OF PRESENCE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. PFRDA/12/RGL/139/3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e), (l), (n), (o), (p) and (w) of sub-section (2) of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) (Amendment) Regulations, 2021.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018: -

(I) Definitions under sub-regulation (1)(g) of regulation 2 shall be substituted as below –

"Pension Schemes" for the purpose of these regulations shall include the pension schemes regulated by the Authority being the National Pension System (NPS), NPS-Lite-Swavalamban, Atal Pension Yojana (APY) and any other pension scheme regulated and/or administered by the Authority or any other pension scheme of the Government of India.

(II) Sub-regulation (1)(a) of regulation 5 shall be substituted as below-

registered with and regulated by any regulator in India including the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, the Pension Fund Regulatory and Development Authority and the National Housing Bank

Provided that this requirement shall not be applicable to entities applying only under sub clause (iii) of regulation 3.

(III) Sub-regulation (1)(g) of regulation 5 shall be substituted as below-

shall possess a two year track record of profitability (Profit after tax) as on the last day of the immediately preceding financial year:

Provided that such condition shall not apply in respect of applicant(s) being (i)Scheduled Commercial banks (SCBs) holding license issued by the Reserve Bank of India, and proposes to conduct its activities under the Atal Pension Yojana, in which case the capital requirements, specified by the Reserve Bank of India shall be considered, in respect of losses incurred in the preceding years or (ii) an online marketing company distributing financial products or entities/ departments/ ministries of central & state governments:

Provided further that such condition shall also not be applicable, in respect of new Payment banks, Small Finance banks and entities offering like services, if the application to act as point of presence is made within a period of five years from the date of registration of such entity with the concerned regulator, for such activities.

(IV) Sub-regulation (1)(a) of regulation 9 shall be substituted as below-

whether the applicant has in the past been refused certificate of registration by any of the regulators including, Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory

and Development Authority of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority and National Housing Bank or to any entity which controls the applicant and if so, the ground for such refusal to the applicant or such entity which controls the Applicant, or whether the applicant or principal officers, have been convicted for any offence involving moral turpitude, economic offence, violation of any securities or banking law or fraud;

(V) Regulation 13 shall be substituted as below-

13. Period of validity of certificate of registration—(1) Subject to compliance with the provisions of the Act, rules and regulations, the certificate of registration granted to a point of presence shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority.

(2) Where a certificate of registration has been granted subject to conditions, the validity of such registration shall be construed as subject to such conditions.

(3) A point of presence may, within ninety days before the expiry of five years from the date of registration or from the date of payment of renewal fee last accepted by the Authority, make an application in the specified form to the Authority for acceptance of the renewal fee:

Provided that if the application along with renewal fee reaches the Authority, not later than one year from the date due for payment of renewal fee, an additional fee of rupees one thousand per month for such period of delay shall be payable by the applicant to the Authority.

(4) The renewal fee shall be a sum calculated at the rate of one-half percent of the charges earned out of activities under National Pension System or other pension schemes put together, in the preceding financial year, subject to a minimum of rupees fifteen thousand and a maximum of rupees one lakh:

Provided that in respect of an applicant which proposes to seek registration solely for conduct of activities under the Atal Pension Yojana (APY) or for servicing only for own employees and other personnel or for entities /departments/ ministries of central & state governments this condition shall not be applicable.

(VI) Sub-regulation (1)(II)(f) of regulation 15 shall be substituted as below-

the point of presence shall transfer the contributions received from the subscriber or their employer or deducted from salary of the employees [in case of entities registered under sub regulation (iii) of regulation 3] to the National Pension System Trust account maintained with the Trustee Bank and upload the subscriber contribution files with the central recordkeeping agency within the timeframe laid down under the service standards or as per the guidelines issued by the Authority for the purpose;

(VII) Sub-regulation (1)(III)(b) of regulation 15 shall be substituted as below-

Every point of presence will open or have a collection account in the name of "Name of the PoP or its abbreviation –Collection Account – Name of pension scheme or its abbreviation – National Pension System Trust or its abbreviation" and such an account shall be a non-withdrawable account with an option to transfer the funds to NPS Trust account or only in exceptional cases such as wrong entries, unidentified entries or amount not pertaining to subscriber contribution, for reasons to be recorded in writing, it may be credited to any other account as may be specified by the authority through guidelines/circulars. The authority to transfer the collection amount will reside with the point of presence.

Provided that those point of presence who are already registered and having bank accounts with different nomenclature and usage shall within a period of ninety days from notification of this regulation, comply with this condition

(VIII) New sub-regulation (5) shall be added under regulation 15 as below-

(5) The point of presence registered for activities under sub-clause (i) or (ii) of regulation 3, may engage the services of individuals who are working as business correspondents or agents within their existing business structure for facilitating the distribution of pension schemes. The business correspondents or agents shall not be allowed to collect contribution by way of cash and permitted to collect it only by means of Cheque or Demand Draft or through electronic mode in favour of the associated point of presence as per the prescribed nomenclature of accounts of point of presence in accordance with regulation 15(1)(III)(b). The point of presence solely shall be liable for any acts of omission or commission by the business correspondent or agents in discharge of their functions including monitoring their activities and imparting training on pension schemes to them.

(IX) New sub-regulation (6) shall be added under regulation 15 as below-

(6) The point of presence registered for activities under sub-clause (i) and (ii) may engage services of Retirement Advisers registered with the Authority in accordance with PFRDA (Retirement Advisers) Regulations, 2016.

(X) Heading and Sub-regulation (1) of Regulation 17 shall be substituted as below-

Maintenance of records and audit of accounts—(1) The following records shall be kept by the point of presence in respect of its activities for a period as prescribed in the guidelines issued by the Authority for this purpose:—

(XI) Sub-regulation (1)(e) of Regulation 17 shall be substituted as below-

details of subscriber-wise instructions such as change of PoP, change of CRA, change of PF, change of scheme, change of nomination details, change of personal details, change of contact details, change of address, error rectification requests or any other requests introduced by the Authority received, processed and sent to central recordkeeping agency;

(XII) Sub-regulation (1)(f) shall be added under regulation 17 as below-

details of subscriber-wise exit / withdrawal / partial withdrawal requests received, processed and sent to central recordkeeping agency;

(XIII) Sub-regulation (2) of Regulation 17 shall be deleted.

(XIV) Sub-regulation (1) of Regulation 21 shall be substituted as below-

Each point of presence shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring compliance by it of the provisions of Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions issued by the Authority including redressal of subscriber grievances.

(XV) Sub-regulation (2) of Regulation 25 shall be substituted as below-

The point of presence shall allow the Authority or its authorized representative or auditor to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the points of presence and point of presence – sub entity engaged by point of presence or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the Authority or its authorized representative or auditor, are relevant for the purpose of the inspection or audit.

(XVI) Regulation 28 shall be deleted.

(XVII) Sub-regulation (10)(ii) of Regulation 44 shall be substituted as below-

receive subscriber registration form, subsequent service requests including exit request in such form as specified or laid down by the authority duly filled and signed by the subscriber along with the necessary documentation;

(XVIII) Sub-regulation (10)(iv) of Regulation 44 shall be substituted as below-

ensure that the subscriber registration form**,** subsequent service requests including exit requests submitted by the applicant are complete in all respects;

(XIX) Sub-regulation (10)(v) of Regulation 44 shall be substituted as below-

ensure that contribution is collected only by means of Cheque or Demand Draft or through electronic mode in favour of the point of presence to which the point of presence-sub entity is associated as per the prescribed nomenclature of accounts of the said point of presence in accordance with regulation 15(1)(III)(b). Collection of National Pension System contributions by way of cash is not permitted for point of presence sub-entity;

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./104/2021-22]

Footnote:

1. The principal regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 25th June, 2018 *vide* notification No. PFRDA/12/ RGL/139/3.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.14 22:35:26 +05'30'